अति आवश्यक
स्मरण–पत्र

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर–302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804 , 4004914

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / पंजीयन / 2023 / 861 दिनांकः 19/7/23

समस्त रजिस्ट्रार / डीन
राजस्थान राज्य के अधिनियम से गठित समस्त विश्वविद्यालय
राजस्थान।

–:: सार्वजनिक सूचना ::–

विषय :– राजस्थान राज्य में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से लेने के क्रम में।

प्रसंग :– इस कार्यालय की सार्वजनिक सूचना क्रमांक 2223 दिनांक 17.07.2018 एवं राजस्थान पैरामेडिकल (संशोधित) विनियम 2023 का विनियम 42

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पूर्व सार्वजनिक सूचना दिनांक 17.07.2018 एवं राजस्थान पैरामेडिकल (संशोधित) विनियम 2023 के विनियम 42 की और आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि राज्य में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल शिक्षा के नियम/ विनियम एवं विकास के उद्वेश्य से 2014 से "राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल" अस्तित्व में है। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 एवं राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के अस्तित्व में आने के पश्चात राजस्थान राज्य में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के संचालन के लिये राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान में राज्य में कई विश्वविद्यालयो द्वारा विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन कौंसिल की मान्यता के बिना किया जा रहा है। ऐसे विश्वविद्यालयो के लिये मान्यता लिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल (संशोधित) विनियम 2023 दिनांक 20 फरवरी 2023 को गजट में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशन दिनांक से 06 माह की अवधि के भीतर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता लेने का प्रावधान किया गया है।

अतः जिस प्रकार विश्वविद्यालयो द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रमो के लिये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) तथा इंजिनियरिंग पाठ्यक्रमो के लिये ऑल इण्डिया कौंसिल फॉर टैक्निकल एज्यूकेशन (AICTE) तथा नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिये नर्सिंग कौंसिल से अनुमति प्राप्त की जाती है, उसी तरह से पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 के प्रावधाानो के अंतर्गत निर्मित वैधानिक निकाय **"राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल"** से मान्यता प्राप्त करना कानूनन अनिवार्य है। अतः जिन विश्वविद्यालयो के शैड्यूल में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन किये जाने का प्रावधान है, ऐसे विश्वविद्यालय राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से नियमानुसार मान्यता दिनांक 20.08.2023 से पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय की सार्वजनिक सूचना 551 दिनांक 13.06.2023 द्वारा सूचित किया गया था, किन्तु अभी तक कुछ विश्वविद्यालय द्वारा ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः समस्त रजिस्ट्रार/डीन, राजस्थान राज्य के अधिनियम से गठित समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान को पुनः सूचित किया जाता है कि जो विश्वविद्यालय पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के संचालन करने हेतु इच्छुक हो, वें सभी विधिवत रूप से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से नियमानुसार मान्यता दिनांक 20.08.2023 से पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेंवे, अन्यथा मान्यता प्राप्त किये बिना पाठ्यक्रम का संचालन किया गया, तो उसके विरूद्व राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम/नियम/विनियमो के

तहत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी, तथा बिना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयो से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रो का राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन नहीं किया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय स्वयं की होगी।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / पंजीयन / 2023 / 861 **दिनांकः 19/7/23**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. निदेशक राजपत्रित / अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
7. मान्यता / पंजीयन शाखा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को आज ही वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार